**मध्यप्रदेश शासन**
**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**
**मंत्रालय भोपाल.**

**क्रमांक / डी–17–16 / 2018 / 14–3** **भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2019**

प्रति,

**समस्त कलेक्टर्स**
**मध्यप्रदेश ।**

**विषयः–** "**जय किसान फसल ऋण माफी योजना**" में हरे आवेदन पत्रों में हरी सूची का सरल कमांक की प्रविष्टि किए जाने के संबंध में।

**संदर्भः–** विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2019

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के कम में लेख है कि "**जय किसान फसल ऋण माफी योजना**" के अंतर्गत प्रदर्शित की गई हरी सूची में उल्लिखित ऋणी कृषकों से हरे आवेदन पत्र ऋण माफी हेतु प्राप्त किए जाने है।

पोर्टल पर हरी सूची के सरल कमांक से ही आवेदक का डाटा प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था की गई है। अतः हरे आवेदन पत्र में ऋणी कृषक का हरी सूची में उल्लिखित सरल कमांक की अनिवार्यतः प्रविष्टि कराई जावे ताकि पोर्टल पर डाटा एन्ट्री विधिवत संपादित की जा सके।

कृपया उक्तानुसार संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(डॉ. राजेश राजोरा)
18/1/19
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

**पृ0 क्रमांक / डी–17–16 / 2018 / 14–3** **भोपाल,दिनांक 18 जनवरी, 2019**

**प्रतिलिपि –**

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, म.प्र., भोपाल।
3. संभागायुक्त, (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालनालय, भोपाल।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत– समस्त, को पालनार्थ।
6. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग............ समस्त म0प्र0।
7. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला............ समस्त म0प्र0।

प्रमुख सचिव 18/1/19
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग